न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0– 06/2014–15

इग्नेश डुंगडुंग.....अपीलार्थी

बनाम

प्रताप डुंगडुंग.....उत्तरवादी

आदेश

25.1.24

अपीलार्थी इग्नेश डुंगडुंग, पिता स्व0 हेरमोन डुंगडुंग, ग्राम + थाना –ठेठईटांगर, जिला – सिमडेगा ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा एस0ए0आर0 वाद संख्या 12/ 2014–15 (प्रताप डुंगडुंग बनाम इग्नेश डुंगडुंग) में दिनांक 06.09.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर की गई थी। दिनांक 13.11.2014 को इस वाद को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया एवं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया । इस वाद का निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख भी प्राप्त है।

विवादित भूमि मौजा ठेठईटांगर, थाना – ठेठईटांगर के खाता नं0 28 प्लॉट नं0 2946 रकबा 0.15 एकड़ से संबंधित है। दिनांक 27.11.2020 को अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया कि अपीलार्थी इग्नेश डुंगडुंग की मृत्यु दिनांक 25.06.2017 को हो गई है, अतएव उनकी पत्नी रोसालिया सोरेंग को पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया। लिमिटेशन एक्ट की धारा – 5 के तहत आवेदन दाखिल करते हुये विलंब को क्षांत करने का भी अनुरोध किया गया।

इस अपीलवाद के विपक्षी प्रताप डुंगडुंग की मृत्यु भी दिनांक 01.05.2018 को हो चुकी है, तथा उनकी पत्नी प्रतिमा डुंगडुंग एवं उनके पुत्र प्रतिक डुंगडुंग को पक्षकार (उत्तरवादी) बनाये जाने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। आवेदन के साथ बिलंब को क्षांत करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा – 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है।

दिनांक 12.01.2021 को तत्कालीन उपायुक्त द्वारा वासगीत पर्चा के मामले पर सुनवाई करने हेतु अभिलेख अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा को भेजते हुए 45 दिनों के अन्दर आदेश पारित कर आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा द्वारा इस आदेश का अनुपालन कर अपने पत्रांक 114/रा0, दिनांक 27.01.2022 द्वारा सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की प्रति के साथ अभिलेख वापस किया गया है।

अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा के उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी एवं उत्तरवादी को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त दिनांक 02.01.2024 को उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए बहस किया गया। अपीलार्थी सुनवाई हेतु निर्धारित विभिन्न तिथियों पर अनुपस्थित रहे। दिनांक 02.01.2024 को अन्तिम रूप से विपक्षी के अधिवक्ता को सुना गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विवादित भूमि मौजा – ठेठईटांगर, थाना – ठेठईटांगर के खाता नं0 28 प्लॉट नं0 2946 रकबा 0.15 एकड़ से संबंधित है। द्वितीय पक्ष अनुसूचित जनजाति के खड़िया जाति के सदस्य है, जो

Scanned by CamScanner

Chotanagpur Tenancy Act (CNT) ,1908 के अन्तर्गत शासित होते है। विवादित भूमि द्वितीय पक्ष की खतियानी भूमि है जो उनके परदादा किशुन खड़िया के नाम पर दर्ज है। यह कहा गया कि विवादित भूमि को अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथा CNT Act ,1908 की धारा– 46 की शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रथम पक्ष के नाम से वासगीत भूमि के रूप में बन्दोवस्ती की स्वीकृति प्रदान कर वासगीत पर्चा निर्गत किया है, जो विधि– सम्मत नहीं है। विवादित भूमि को reclaim करने हेतु एस0ए0आर0 वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में दायर की गई, जिसमें आवेदन को स्वीकृत करते हुए भूमि वापस करने का आदेश प्रदान किया गया है।

विज्ञ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रथम पक्ष मौजा – ठेठईटांगर खरवागढ़ा के मूल निवासी है तथा खाता संख्या – 325 रकबा 3.25 एकड़ एवं खाता संख्या – 367/1 रकबा 5.10 एकड़ के रैयत सिरिल खड़िया वल्द धुमा खड़िया का पोता है। इस दावे के समर्थन में खतियान एवं ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति दाखिल की गई है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि प्रथम पक्ष विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। Bihar Privileged Person Homestead Tenancy (BPPHT) Act, 1947 की धारा 2(i) के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को प्रोपराईटर, टेन्युर होल्डर, अण्डर–टेन्युर होल्डर या महाजन नहीं होना चाहिए तथा ऐसे प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति के पास वास भूमि के अलावे कोई भूमि नहीं होनी चाहिए तथा यदि भूमि हो भी तब एक एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही BPPHT Act, की धारा 2(d) एवं (j) का उल्लेख करते हुए वासगीत पर्चा रैयत की सहमति से ही रैयत के मकान सहन पर निवास के लिए विशेष संविदा के अधीन दिया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति वास भूमि के उपयोग के लिए किराया का भुगतान करने का दायी होता है। धारा– 4 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ऐसे किराया का भुगतान के लिये विशेषाधिकार व्यक्ति तथा भूमि के मूल भू–स्वामी के बीच सहमति या इनके बीच किराये के संबंध में कोई संविदा हो सकती है,किन्तु जहां संविदा की गई है वहां इसे पक्षपात रहित तथा असाम्यपूर्ण होना है। ऐसा किराया समाहर्त्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17–A की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन निर्धारित करने का प्रावधान है। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का उसके द्वारा धारित वास भूमि में किसी समय एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी अभिधृत होगा।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने वासगीत पर्चा बन्दोवस्ती वाद संख्या 05/ 2001–02 में अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर द्वारा पारित आदेश के संबंध में बताया कि हल्का कर्मचारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है जबकि Bihar Privileged Person Homestead Tenancy(BPPHT) Rules, 1948 के नियम (5) के अन्तर्गत हल्का कर्मचारी को जांच प्रतिवेदन समर्पित करने की शक्ति प्राप्त ही नहीं है। जांच की कार्यवाही स्वयं कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अंचल निरीक्षक या कल्याण पर्यवेक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा समर्पित की जा सकती है। इस वाद में हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम पक्ष को वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, जो विधि–सम्मत नहीं है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने प्रथम पक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं होने का जिक्र करते हुए

Scanned by CamScanner

निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने एवं अपील आवेदन रद्द करने का अनुरोध किया है।

विज्ञ अधिवक्ता की बहस को सुनने, दाखिल दस्तावेजो का अवलोकन, तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Act, 1947 की धारा–2(i) के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। अतएव इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा भूमि वापसी का आदेश सही है। वर्णित स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा एस0ए0आर0 वाद संख्या 12/ 2014–15 (प्रताप डुंगडुंग बनाम इग्नेश डुंगडुंग) में दिनांक 06.09.2014 को पारित आदेश को कायम (intact) रखा जाता है एवं इस अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
सिमडेगा।

25.1.24
उपायुक्त
सिमडेगा।

Digitally signed by Ajay Kumar Singh
Date: 2024.06.29 13:32:02 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned by CamScanner